रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1173/2025/1139/22-2-2025-17(938)/2025

लखनऊ: दिनांक: **22** सितम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुभाष (बन्दी सं0-26822) पुत्र श्री श्रीकृष्ण, जो फगुना अतनपुर, थाना-मोहम्मदाबाद, जनपद-फर्रूखाबाद का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-86/1982 धारा-148, 302/149 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-01, फर्रुखाबाद के दण्डादेश दिनांक 27.06.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.08.2015 द्वारा निर्णीत करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.11.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष, 08 माह, 21 दिन तथा 11 वर्ष, 06 माह, 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या-1173/2025/1139(1)/22-2-2025 एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

4- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।

5- वरिष्ठ अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, फर्रूखाबाद।

6- वरिष्ठ अधीक्षक केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

---

1 -यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in